

## अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संविधान ने 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, तब से 14 सितंबर का दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिन्दी को संघ की राजभाषा का स्थान मिला था इसलिए यह गौरवपूर्ण दिन है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में यह वर्णित है कि "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा।"

राजभाषा संकल्प, 1968 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके लिए हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर इन्हें निम्नलिखित "क", "ख" एवं "ग" तीन क्षेत्रों में रखा गया है।

- "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं।

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
ग	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल, तामिलनाडु, उडिसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पाण्डेचेरी, मणिपुर, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, एवं जम्मू -कश्मीर।

- इन तीनों क्षेत्रों के लिए हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य कितने हैं :-

उत्तर वर्ष 2014 - 15 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इन तीनों क्षेत्रों के लिए हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य निम्नानुसार है :-

	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
हिन्दी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	क से क क्षेत्र को 100% क से ख क्षेत्र को 100% क से ग क्षेत्र को 65% क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	ख से क क्षेत्र को 90% ख से ख क्षेत्र को 90% ख से ग क्षेत्र को 55% ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	ग से क क्षेत्र को 55% ग से ख क्षेत्र को 55% ग से ग क्षेत्र को 55% ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%

4. धारा 3(3) के अन्तर्गत कौनसे दस्तावेज आते हैं ? इसके उल्लंघन के लिये किसकी जिम्मेदारी निश्चित की गई है ?

उत्तर राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 (3) के अंतगयत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा -प्रारूप द्विभाषिक रूप में, अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जारी किया जाएं। इनमें किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।

5. कम्प्यूटर पर हिन्दी का कौनसा फोन्ट प्रयोग किया जाना चाहिये ?

उत्तर कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का ही प्रयोग किया जाए ।

6. प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी किसे माना जाए ?

उत्तर (क) किसी अधिकारी / कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, (ख) या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो , या (ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

7. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी किसे माना जाए ?

उत्तर यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी ने (क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या (ख) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्रतर परीक्षा विनिर्दिष्ट की हो, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या (ग ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस नियमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या (घ) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

8. तिमाही रिपोर्ट आसानी से कैसे भरी जाये?

उत्तर : डिस्पैच रजिस्टर से क ख एवं ग क्षेत्र को वर्गीकृत करने हेतु निम्नानुसार सारणी बनाए -

क्षेत्र	कुल	हिन्दी में भेजे गए कुल पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए कुल पत्र
क			
ख			
ग			
कुल भेजे गए पत्र			
धारा 3(3) के अंतर्गत कुल			

सभी अनुभाग /अधीनस्थ कार्यालय, कार्यालय के प्रेषण रजिस्टर में उपरोक्त सारणी को प्रत्येक माह के अंत में बनाकर या चिपकाकर पूरे माह के आंकड़ों को उपरोक्त टेबल के अनुसार लिखें जिससे प्रत्येक माह में आंकड़ों को वर्गीकृत करना आसान होगा तथा तिमाही रिपोर्ट आसानी से भरी जा सकती हैं।